

## टेण्डर नोटिस

चित्रकूटधाम क्षेत्र के हमीरपुर डिपो की बसों की सफाई-धुलाई हेतु इन्डिविजुअल संचालक/फर्म से टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक फर्म/इन्डिविजुअल संचालक दिनांक 27.09.2017 को समय 14:00 बजे से 15:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में टेण्डर, सेवा प्रबन्धक कार्यालय चित्रकूटधाम क्षेत्र बाँदा के टेण्डर बॉक्स में डाल सकते हैं। टेण्डर उसी दिन समय 16:00 बजे समस्त निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। टेण्डर दो अलग-अलग लिफाफे में टेण्डर दाता द्वारा जमा किया जायेगा। एक लिफाफा तकनीकी अर्हता का होगा तथा दूसरे लिफाफे में फर्म/इन्डिविजुअल संचालक द्वारा हमीरपुर डिपो की कम से कम पाँच बसों की निःशुल्क सफाई-धुलाई कराकर उसके फोटोग्राफ टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी अर्हता के लिफाफे में प्रतिभूति धनराशि रु0 7500=00(सात हजार पाँच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/चेक जो कि सेवा प्रबन्धक चित्रकूटधाम क्षेत्र बाँदा के नाम देय होगा, के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

1. फर्म/इन्डिविजुअल संचालक के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. फर्म/इन्डिविजुअल संचालक के पैनकार्ड की छायाप्रति।
3. फर्म/इन्डिविजुअल संचालक के जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. फर्म/इन्डिविजुअल संचालक के कैंसिल्ड चेक की फोटोप्रति।
5. अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले फर्म/इन्डिविजुअल संचालक का ही द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा।

### निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् होंगी—

- 1— क्षेत्रीय समिति निर्धारित धुलाई दर रु0 28=00 प्रति बस पर सहमति देने वाले फर्म/इन्डिविजुअल संचालक को 03 वर्ष के लिये सफाई-धुलाई का ठेका देने पर निर्णय लेगी।
- 2— बसों की सफाई-धुलाई हेतु अनुबन्धकर्ता को बसों की धुलाई लिक्विड इण्डस्ट्रियल डिटरजेंट से करानी होगी, जिसे वह स्वयं लायेगा तथा बसों की धुलाई हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उपकरणों के रख-रखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
- 3— अनुबन्धकर्ता को बसों के भीतों की सफाई-धुलाई प्रतिदिन करानी होगी। अन्दर की सफाई के लिये फर्श की स्वीपिंग करानी होगी व सीटों की सफाई ब्राण्डेड इण्डस्ट्रियल परफ्यूम्ड डिस्इन्फेक्टेण्ट मोइस्ट क्लीनिंग द्वारा करानी होगी।
- 4— अनुबन्धकर्ता को बसों की सुचारु रूप से सफाई-धुलाई हेतु हमीरपुर डिपो की आउट पीडिंग गिड्यूल के अनुसार सफाई-धुलाई हेतु लिफ्टवाइज अलग-अलग कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। हमीरपुर डिपो 60 बसों से अधिक का डिपो है, इस कारण न्यूनतम 06 सफाई कर्मचारी लगाना आवश्यक होगा। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मचारियों हेतु ऐप्रन एवं रबर बूट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- 5- सफाई-धुलाई हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा, अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
- 6- अनुबन्धकर्ता को रु0 28=00 प्रति बस की दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा। किसी स्थिति में किसी नीति या नियम के अन्तर्गत यदि कोई देयता किसी भुक्त या कर के रूप में जनित होती है तो उसमें उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
- 7- अनुबन्धकर्ता को जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार देय होगा।
- 8- इण्डिविजुअल संचालक/फर्म द्वारा लगाये गये कार्मिक प्रत्येक उद्देय के लिये इण्डिविजुअल संचालक/फर्म के ही कार्मिक माने जायेंगे। उनके देयकों के भुगतान तथा फण्ड/बीमा आदि की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता इण्डिविजुअल संचालक/फर्म की होगी।
- 9- बसों की सफाई-धुलाई का वेरीफिके इन फर्म के प्रतिनिधि द्वारा डिपो के फोरमैन से कराना अनिवार्य होगा।

#### पैनाल्टी क्लोज:-

डिपो से आउट टोड किसी बस में एक त्रैमास में प्रथम बार स्वच्छ न पाये जाने पर रु0 100=00 की पैनाल्टी अनुबन्धकर्ता से वसूली जायेगी। द्वितीय बार किसी बस को गन्दी पाये जाने पर रु0 250=00 की पैनाल्टी वसूल की जायेगी। तीसरी बार कोई बस गन्दी पायी जाती है तो प्रतिभूति की 50% धनराशि के बराबर पैनाल्टी वसूल की जायेगी। चौथी बार कोई बस गन्दी पायी जाती है तो प्रतिभूति की 75% धनराशि के बराबर पैनाल्टी वसूल की जायेगी तथा पाँचवी बार कोई बस गन्दी पायी जाती है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये सेवा प्रबन्धक चित्रकूटधाम क्षेत्र बाँदा द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

## कार्यालय सेवा प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, चित्रकूटधाम क्षेत्र बाँदा

पत्रांक :- सी0डी0आर0/से0प्र0/बस सफाई-धुलाई/टेन्डर/2017-840 दिनांक :- 11.09.2017

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवृत्त कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान प्रबन्धक (एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को निगम बेबसाइट पर अपलोड हेतु सादर प्रेषित।
2. निगम बेबसाइट पर अपलोड हेतु [bablu@otpl.co.in](mailto:bablu@otpl.co.in), [update@otpl.co.in](mailto:update@otpl.co.in) & [tender@upsrtc.com](mailto:tender@upsrtc.com)
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) चित्रकूटधाम क्षेत्र बाँदा।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बाँदा डिपो/महोबा डिपो/राठ डिपो/हमीरपुर डिपो को इस आशय से कि आप उक्त टेन्डर को अपने नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करायें।
5. सेवा प्रबन्धक कार्यालय नोटिस बोर्ड।

सेवा प्रबन्धक  
चित्रकूटधाम क्षेत्र, बाँदा